# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 149 / 2020** **दायर दिनांकः 21.09.2020**

**उनवान**

1. सुरेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति माली निवासी चारणखेड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0) ।

.....वादी

**बनाम**

1. गोपीचन्द आयु 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
2. नेमीचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
3. देवचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. नाथूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
5. छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
6. बबलू आयु 48 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासीगण गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. राजेन्द कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
8. शंकरलाल आयु 37 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पो0 मुसेनमाता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
9. श्यामसुन्दर मित्तल आयु 47 वर्ष पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
10. शरदकुमार आयु 56 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
11. सूरजमल आयु 50 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा (बस स्टेण्ड़ के पास ) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रति. क्रम. 1 ल 3 व क्रम 8।

**निर्णय** **दिनांक 12/03/2022**

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 743 का ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1/49 दर्ज खाता हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 एवं नक्शा ट्रेस की प्रति वाद पत्र के साथ में संलग्न हैं। चूंकि आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। उक्त आराजी शामलाती खाते दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 ता 11 के मध्य काश्त को लेकर एवं लगान राज अदायगी को लेकर तनाजा बना रहता हैं। वादी ने प्रतिवादी क्रम–1 ता 11 से आराजी का खाता विभाजन कराने का निवेदन किया तो उन्होंने खाता विभाजन कराने से साफ मना कर दिया। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 ता 11 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं अगर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 11 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और आराजी का विभाजन नहीं करवाया तो वादी को आराजी में प्राप्त अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/49 दर्ज खाता हैं। आराजियात शामलाती खाते की होने की वजह से वादी अपने हिस्से की आराजी को अपनी इच्छा के मुताबिक उपयोग उपभोग नहीं कर पाता। अपने हिस्से की आराजी पर अपनी इच्छानुसार विकास नहीं करवा सकता हैं। इस वजह से वादी यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन किया जाकर कब्जे अनुसार हिस्सा 1/49 अलग से खाता दर्ज किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादी ने आराजी विभाजन बाबत प्रतिवादी क्रम–1 ता 11 से कई बार निवेदन किया लेकिन अन्त में दिनांक 10/09/2020 को विभाजन कराने से साफ मना करने पर वाद कारण पैदा हुआ उसके बाद यह वाद वादी द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। विवादाग्रस्त आराजी

वाके ग्राम एवं माल कवाई तह0 अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद विभाजन आराजी का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम–12 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर वादी निवेदन करता हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम–1 ता 11 इस आशय की पारित की जावें कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल कवाई की खाता संख्या 743 का ख0न0 365 का रकबा 0.49 है0 का विभाजन किया जाकर कब्जे अनुसार वादी का 1/49 हिस्सा पृथक से राजस्व जमाबन्दी में वादी के खाते दर्ज की जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व क्रम 8 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं 1 का स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 2 का स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 3 का स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 4 का स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 5 का स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं 6 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं 7 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं 8 कानूनी हैं। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है।

–:विशेष कथनः–

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 का खाता भी पृथक से अलग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 8 शंकरलाल का खाता भी पृथक से अलग दर्ज किया जावे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 तथा प्रतिवादी क्रम 8 जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का विभाजन किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 का खाता प्रथक से अलग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 8 शंकरलाल का खाता पृथक से अलग दर्ज करने की कृपा करे।

प्रतिवादी क्रम 4 ल 7 तथा 9 ल 11 को अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 12 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। अभिभाषक वादी जवाब उल जवाब पेश नहीं करना चाहते एवं आपसी सहमति से विभाजन कराना चाहते है। इसलिए जवाब उल जवाब बन्द किया गया। अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही करना चाहते। अभिभाषक वादी व अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 व 8 की बहस सुनी। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 365 रकबा 0.49 है0 में से सह–खातेदार राजेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण द्वारा अपना हिस्सा पूर्व में ही पृथक करा लिया है जिसके नवीन ख0नं0 2616/365 रकबा 0.05 है0 एवं 2617/365 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 है0 है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी अनुसार, मूल ख0नं0 365 की शेष 0.42 है0 भूमि के दो ख0नं0 2619/365 रकबा 0.04 है0 व 2618/365 रकबा 0.38 है0 पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 व 8 ता 11 सह–खातेदार के रूप में दर्ज है। दौनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा आपसी सहमति से हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन करवाने का निवेदन किया है।

अतः आपसी सहमति से न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

**–:क्रियात्मक आदेशः–**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 743 का मूल ख0न0 365 का शेष रकबा 0.42 है0 में हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **12.03.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

**प्रकरण सं0 149/2020**

**उनवान**

1. सुरेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति माली निवासी चारणखेड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0) ।

.....वादी

**बनाम**

1. गोपीचन्द आयु 50 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
2. नेमीचन्द आयु 45 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा
3. देवचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र लक्ष्मीचन्द जाति मीणा निवासीगण महुआखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
4. नाथूलाल आयु 52 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
5. छोटूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा
6. बबलू आयु 48 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति बंजारा निवासीगण गणेश जी की छतरी के पास कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
7. राजेन्द कुमार आयु 48 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
8. शंकरलाल आयु 37 वर्ष पुत्र ताराचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज पो0 मुसेनमाता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
9. श्यामसुन्दर मित्तल आयु 47 वर्ष पुत्र कल्याणमल मित्तल जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
10. शरदकुमार आयु 56 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति महाजन निवासी गऊघाट रोड़ कवाई तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
11. सूरजमल आयु 50 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी मेन रोड़ सालपुरा (बस स्टेण्ड़ के पास ) तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0

.....प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट**

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा प्रति. क्रम. 1 ल 3 व क्रम 8।
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई में खाता संख्या 743 का मूल ख0न0 365 का शेष रकबा 0.42 है0 में हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)